प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 859 सन 2021

अनवान :–

1. मनीराम पुत्र रावताराम जाति जांगिड साकिन ढाणीलालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. अमीलाल पुत्र रावताराम जाति जांगिड साकिन ढाणीलालखां तहसील नोहर।
2. रेशमी पुत्री रावताराम जाति जांगिड साकिन ढाणीलालखां तहसील नोहर
3. गोमती पुत्री अमरसिह जाति जांगिड साकिन ढाणीलालखां तहसील नोहर
4. सुपारी पुत्री अमरसिह जाति जांगिड साकिन ढाणीलालखां तहसील नोहर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 11.12.2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 17/14 की कुल 1.9010हैक भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 एवं परमेश्वरी के नाम प्रत्येक 1/6 –1/ 6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में रावताराम के नाम से दर्ज थी रावताराम के देहान्त होने के बाद उसके जायज वारिसान अमीलाल , अमरसिह, मनीराम , रेशमी हुए जिनमें से अमरसिह का भी देहान्त हो गया इसप्रकार रावताराम के देहान्त होने के बाद विरास्तनसे नामान्तकरण दर्ज करते समय सहवन से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक के नाम 1/6 हिस्सा दर्ज कर दिया

वाद भूमि का रावताराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से नामान्तकरण दर्ज करते समय गलत तौर से दर्ज किया गया है जिसे सही तौर से हक हिस्सा दर्ज करवाना चाहत है तथा परमेश्वरी का देहान्त हो चुका है परमेश्वरी के देहान्त होने पर उसके हक हिस्सा की भूमि के जायज हकदार उसकी पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 3 ,4 हुई जो परमेश्वरी के नाम से दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है

इसलिये वादी वाद भूमि मे हिस्सा कस्सी संशोधन करवाकर एवं परमेश्वरी के नाम दर्ज भूमि उसके वारिसान के नाम से दर्ज करवाने की अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एव प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हिस्सा कस्सी संशोधित की जावे एवं परमेश्वरी के देहान्त होने के कारण परमेश्वरी के नाम दर्ज भूमि उसकी वारिसान के नाम दर्ज करवा कर हिस्सा कस्सी सही करवान के अधिकारी है ादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में रावताराम के नाम से दर्ज थी रावताराम के देहान्त होने के बाद उसके जायज वारिसान अमीलाल , अमरसिह, मनीराम , रेशमी हुए जिनमें से अमरसिह का भी देहान्त हो गया इसप्रकार रावताराम के देहान्त होने के बाद विरास्तनसे नामान्तकरण दर्ज करते समय सहवन से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक के नाम 1/6 हिस्सा दर्ज कर दिया

वाद भूमि का रावताराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से नामान्तकरण दर्ज करते समय गलत तौर से दर्ज किया गया है जिसे सही तौर से हक हिस्सा दर्ज करवाना चाहत है तथा परमेश्वरी का देहान्त हो चुका है परमेश्वरी के देहान्त होने पर उसके हक हिस्सा की भूमि के जायज हकदार उसकी पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 3 ,4 हुई जो परमेश्वरी के नाम से दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

इसलिये वादी वाद भूमि मे हिस्सा कस्सी संशोधन करवाकर एवं परमेश्वरी के नाम दर्ज भूमि उसके वारिसान के नाम से दर्ज करवाने की अधिकारी है।

वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की परमेश्वरी के देहान्त होने के कारण परमेश्वरी के नाम दर्ज भूमि को उनके वारिसान के नाम दर्ज की जाकर सही रूप से हिस्सा कस्सी राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है।

एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 17/14 की कुल 1.9010हैक भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 एवं परमेश्वरी के नाम प्रत्येक 1/6 –1/ 6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में रावताराम के नाम से दर्ज थी रावताराम के देहान्त होने के बाद उसके जायज वारिसान अमीलाल , अमरसिह, मनीराम , रेशमी हुए जिनमें से अमरसिह का भी देहान्त हो गया इसप्रकार रावताराम के देहान्त होने के बाद विरास्तनसे नामान्तकरण दर्ज करते समय सहवन से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक के नाम 1/6 हिस्सा दर्ज कर दिया

वाद भूमि का रावताराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से नामान्तकरण दर्ज करते समय गलत तौर से दर्ज किया गया है जिसे सही तौर से हक हिस्सा दर्ज करवाना चाहत है तथा परमेश्वरी का देहान्त हो चुका है परमेश्वरी के देहान्त होने पर उसके हक हिस्सा की भूमि के जायज हकदार उसकी पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 3 ,4 हुई जो परमेश्वरी के नाम से दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है

इसलिये वादी वाद भूमि मे हिस्सा कस्सी संशोधन करवाकर एवं परमेश्वरी के नाम दर्ज भूमि उसके वारिसान के नाम से दर्ज करवाने की अधिकारी है वादी के कथनो को प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की परमेश्वरी के देहान्त होने पर उसके नाम से दर्ज भूमि उनके वारिसान के नाम दर्ज करते हुए राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा कस्सी को संशोधन की जाती है तो किसी प्रकार को एतराज नही ळै

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 17/14 की कुल 1.9010हैक भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 एवं परमेश्वरी के नाम प्रत्येक 1/6 –1/ 6 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है मे से परमेश्वरी का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 ,4 बहिब 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट... भुकरका

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. मनीराम पुत्र रावताराम जाति जांगिड साकिन ढाणीलालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. अमीलाल पुत्र रावताराम जाति जांगिड साकिन ढाणीलालखां तहसील नोहर।
2. रेशमी पुत्री रावताराम जाति जांगिड साकिन ढाणीलालखां तहसील नोहर
3. गोमती पुत्री अमरसिह जाति जांगिड साकिन ढाणीलालखां तहसील नोहर
4. सुपारी पुत्री अमरसिह जाति जांगिड साकिन ढाणीलालखां तहसील नोहर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 859 सन 2021 निर्णय दिनांक– 11.12.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अंभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि कि रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 17/14 की कुल 1.9010हैक भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 एवं परमेश्वरी के नाम प्रत्येक 1/6 –1/ 6 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है मे से परमेश्वरी का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 ,4 बहिब 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11.12.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....भुकरका